न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— /2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रूपेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हिमताराम जाति जाट निवासी रताणियों की ढाणी चेराई तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।		भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह राठौड़ एवं
श्री रघुवीरसिंह राठौड़

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांकः—10/12/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— तहसील ओसियां के ग्राम चक रताणिया बेरड़ों का बास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 51 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 44 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त भूमि रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रूपेश कुमार चौधरी के स्थान पर रूपाराम अंकित है जो आज दिन भी रेकर्ड में यथावत दर्ज है। प्रार्थी रूपेश कुमार चौधरी है जबकि राजस्व कर्मचारियों ने भूल से रूपाराम अंकित कर दिया जबकि वास्तव में रूपेश कुमार चौधरी है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से गलत इन्द्राज हो गया है जिसे प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाकर शुद्ध करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किया गया है जिसे यदि शुद्ध किया [illegible] तो अप्रार्थी या अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं [illegible]। प्रार्थी की सकुनत के लिए मतदाता [illegible] पत्र ड्राईविंग ला[illegible] स्कूल के प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड की [illegible]यां संलग्न है। अतः [illegible] ओसियां के ग्राम चक रताणिया बेरड़ों का बास की सरहद में खेत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नम्बर 33, 51, 44, 56, 59, 60 में प्रार्थी रूपाराम पुत्र श्री हिमताराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर रूपेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हिमताराम शुद्ध करवाए जाने का आदेश फरमावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रूपाराम के स्थान पर रूपेश कुमार चौधरी दर्ज करने हेतु अनुशंषा की।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील ओसियां के ग्राम चक रताणिया बेरड़ों का बास की सरहद में खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 51 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 44 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 56 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रूपाराम पि. हिम्मताराम के स्थान रूपेश कुमार चौधरी पि. हिम्मताराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 10/12/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:16:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner